एफएसएसएआई
fssai

For immediate release

FSSAI ने एक्सपायर्ड बीयर के भंडार का खुलासा किया, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2024: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ मिलकर गुरुवार, 11 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली के द्वारका में पब्लिक बॉन्डेड वेयरहाउस में एक संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के निष्कर्षों में खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम 2006 में उल्लिखित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन सामने आया।

वेयरहाउस के निरीक्षण के दौरान, यह पता चला कि एक खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) के पास एक लोकप्रिय ब्रांड की 45 मीट्रिक टन एक्सपायर्ड बीयर का भंडार था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपये है।

इन उल्लंघनों के आलोक में , FSSAI ने अपने निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, सुश्री एस. विजयरानी की देखरेख में, FSS अधिनियम, 2006 के अनुसार सभी एक्सपायर हो चुके उत्पादों को जब्त करके तत्काल कार्रवाई की। जब्त किए गए उत्पादों पर जांच पड़ताल कर आगे कार्रवाई की जाएगी।

एफएसएसएआई वर्तमान में उल्लंघन की पूरी सीमा का पता लगाने और नियामक ढांचे के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले की व्यापक जांच कर रहा है। एफएसएसएआई की यह कार्रवाई कड़े नियमों को लागू करके और नियामक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले एफबीओ के खिलाफ ससमय कार्रवाई करके उपभोक्ताओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

इसके अलावा, एफएसएसएआई उपभोक्ताओं को देश भर में खाद्य सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए खाद्य सुरक्षा चिंताओं के किसी भी मामले की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा मामलों से संबंधित अपनी चिंताओं को एक समर्पित "खाद्य सुरक्षा कनेक्ट" पोर्टल के माध्यम से सीधे एफएसएसएआई के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे https://foscos.fssai.gov.in/consumergrievance/ पर देखा जा सकता है।